



## प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली

दिनांक 24.03.2024

# थाना सिम्भावली पुलिस ने एक जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा जिला बदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी को वैट पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता:-

जावेद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड । (एचएस 112ए)

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 142/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
2. मु0अ0सं0 170/15 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
3. मु0अ0सं0 171/15 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 466/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
5. मु0अ0सं0 244/19 धारा 13 जी एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
6. मु0अ0सं0 400/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मुनेन्द्र कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
2. का0 905 कृष्णकान्त थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
3. का0 1016 करणवीर सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।